मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेशों दिनांक 30.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018, 12.02.2019, 25.03.2019 अगली नियत तिथि 29.04.2019

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण समयबद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

01, तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–65–2012(रिट–8835)/2018 दिनांकःअप्रैल 02, 2019

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, समस्त जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः– जमानत याचिका संख्याः 8835/2018 रवि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देशों/आदेश दिनांकः 30.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018, 12.02.2019, 25.03.2019 के अनुपालन में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण एवं कियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही को अगली नियत तिथि 29.04.2019 पर मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया जमानत याचिका संख्याः 8835/2018 रवि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ निर्देशों/ आदेश दिनांकः 30.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018, 12.02.2019 का अवलोकन करें।

2. उक्त जमानत याचिका में दिनांक 25.03.2019 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण एवं कियान्वयन हेतु सुनवाई की गयी।

3. इस सन्दर्भ में मेरे समसंख्यक पत्र दिनांक 14.11.2018, 11.12.2018, 27.02.2019, 08.03.2019 का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण एवं कियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने के सन्दर्भ में निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही की समीक्षा की गयी हैः–

- सीसीटीएनएस पोर्टल पर समस्त फ़ॉर्म की फ़ीडिंग
- सीसीटीएनएस पोर्टल पर समस्त विवेचनाओं की केस डायरी व पर्यवेक्षी अधिकारियों की टिप्पणी की फ़ीडिंग
- सीसीटीएनएस के डैशबोर्ड से अपराध समीक्षा
- PMS मोबाइल ऐप के माध्यम से थानों का मूल्यांकन एवं समीक्षा
- सीसीटीएनएस के वेब-बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म या UPCOP मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त विभिन्न सत्यापन सेवायें व अन्य अनुरोधों का समयबद्ध डिजीटल निस्तारण
- सीसीटीएनएस कार्ययोजना का प्रभावी एवं सुरक्षित क्रियान्वयन के लिये बजट/धनराशि की मॉग एवं उपयोग का सतत पर्यवेक्षण

4. उपरोक्त के क्रम में ही पुनः शासन द्वारा भी अपने पत्र संख्या 433/6–पु–7–2019 –10/2015 टीसी–2 दिनांक 05.03.2019 द्वारा उक्त आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनपद से अपेक्षा की गयी है, कि सम्बन्धित जनपदीय पुलिस प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा शासन स्तर से प्रदान किये गये बजट से थानों के कम्प्यूटर, यूपीएस, बैटरी, प्रिन्टर के साथ–साथ प्रति माह सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उपयोग की जाने वाली वस्तुयें Consumable जैसे टोनर एवं पेपर इत्यादि खर्चों का ब्योरा आवश्यकता के 15 दिवस पूर्व ही सम्बन्धित जनपदीय पुलिस प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को भेज दिया जायेगा। जिसमें थाना स्तर पर आवश्यकता के अनुसार अपनी मॉग भेजे जाने के 15 दिवस में ही उपलब्ध धनराशि के अनुसार थानों को विवेचना से सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं का समय से निराकरण करा दिया जाय जिससे विवेचना में विलम्ब न हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद द्वारा की जा रही व्यवस्था को 07 दिनों में तकनीकी सेवायें मुख्यालय के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

5. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दृष्टिगत थाना स्तर पर उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट (uppolice.gov.in) या UPCOP मोबाइल ऐप्प पर विभिन्न सेवा–अनुरोधों का लाभ आम नागरिकों को प्राप्त होने के कारण प्रसन्नता व्यक्त की गयी है। इसके सफल छवि को बनाये रखने के लिए यह अपेक्षा की जाती है जनपदीय पुलिस प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट (uppolice.gov.in) या UPCOP मोबाइल ऐप्प पर विभिन्न सेवा–अनुरोधों, e-FIR, एवं निम्न विभिन्न तरह के सत्यापन आदि विभिन्न सेवाओं का समयबद्व/ सिटीजन चार्टर व्यवस्था के अनुसार पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु थानाध्यक्षों एवं क्षेत्राधिकारियों को जिम्मेदारी सुनिश्चित करायें:–

1. चरित्र प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध
2. घरेलू सहायता सत्यापन हेतु अनुरोध
3. कर्मचारी सत्यापन हेतु अनुरोध
4. किरायेदार सत्यापन हेतु अनुरोध
5. विरोध / हड़ताल पंजीकरण
6. कार्यक्रम / प्रदर्शन निवेदन

7. जुलूस अनुरोध
8. फिल्म शूटिंग
9. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अनुरोध

6. इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन / कियान्वयन के क्षेत्र में विवेचना के डिजिटाइजेशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 05 जनपदों मुरादाबाद, मैनपुरी आगरा, संत कबीर नगर को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रशस्ति–पत्र दिये जाने की मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सराहना की गयी है। साथ ही प्रतिमाह सीसीटीएनएस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 05 जनपदों को प्रशस्ति पत्र एवं शीर्ष चिन्हित 10 थानों के हेड मोहर्रिर एवं कम्प्यूटर आपरेटर को स्टेट इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जायेगा।

7. दिनांकः 01.02.2019 से 27.03.2019 तक पूरे प्रदेश में 760 थानों में बलात्कार के कुल 1484 मामलों में 661 मामलों में ही सीसीटीएनएस पोर्टल पर केस डायरी किता की जा रही है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्राधिकारी वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर एवं प्रयागराज रेंज के हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्राधिकारी मुरादाबाद, आगरा एवं बरेली रेंज के हैं।

उपरोक्त अवधि में कुल 309 थानों में दर्ज दहेज हत्या के 383 मामलों में केवल 163 मामलों में ही सीसीटीएनएस पोर्टल पर केस डायरी किता की जा रही है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले थाने वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर एवं प्रयागराज रेंज के हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थाने अलीगढ़, बरेली, चित्रकूट एवं बस्ती रेंज के हैं। उसी तरह लूट के मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले थाने ग़ाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं लखनऊ के हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न जनपदों यथा प्रयागराज, गोरखपुर, बिजनौर, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर द्वारा सीसीटीएनएस के कियान्वयन एवं विवेचना के डिजिटाइजेशन में कोई रूचि नहीं लिये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। उक्त 08 जनपदों के सम्बन्धित जनपदीय पुलिस प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक इस परिप्रेक्ष्य में लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्षों एवं क्षेत्राधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही करायें एवं भविष्य में इसमें प्रगति लाने के लिए स्वंय अपने निकट पर्यवेक्षण में प्रयास करें।

दिनांकः 01.02.2019 से 26.03.2019 तक पूरे प्रदेश में कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) में **Latitude and Longitude** से सम्बन्धित सूचना अंकित नहीं की जा रही है जिससे उक्त अवधि में हत्या के कुल 695 अभियोगों में मात्र 39 मामलों में, लूट के कुल 1029 अभियोगों में मात्र 58 मामलों में, डकैती सहित लूट के कुल 130 अभियोगों में मात्र 12 मामलों में, चोरी व नकबजनी के कुल 2848 अभियोगों में मात्र 131 मामलों में, सड़क दुर्घटना के कुल 6768 अभियोगों में मात्र 391 मामलों में **Latitude and Longitude** से सम्बन्धित सूचना फीड की गयी है। उक्त के संबंध में जनपदवार संलग्न विवरण प्रेषित किया जा रहा है। इससे शत–प्रतिशत अनुपालन करायें, इससे अपराध की मैपिंग करने में मदद मिलेगी।

जनपदीय क्षेत्राधिकारी उक्त के अनुपालन में अपने अधीनस्थ विवेचकों व थानाध्यक्षों के कार्यों का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। जनपदीय प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारियों के सन्दर्भ में

उक्त के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट देंगे। जोनल अपर पुलिस महानिदेशक अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक की संयुक्त समिति गठित करते हुए अपने अधीनस्थ प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक के सन्दर्भ में उक्त के अनुपालन में रिपोर्ट देंगे।

8. ज्ञातव्य हो कि उक्त सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय के संलग्न दिनांक 25.03.2019 के आदेश के क्रम में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन एवं अनुश्रवण हेतु अग्रिम तिथि 29.04.2019 नियत है। अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि मा0 उच्च न्यायालय में निर्धारित तिथि से पूर्व तकनीकी सेवायें द्वारा की जाने वाली समीक्षा में सीसीटीएनएस पोर्टल पर केस डायरी की स्थिति बेहतर हो सके तथा मा0 न्यायालय को तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

9. उपरोक्त के सन्दर्भ में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के सन्दर्भ में सूचना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाय जिस पर अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) एवं अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) के स्तर से की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से कि संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, जोन द्वारा प्रेषित आख्या को उक्त अधिकारियों के व्यक्तिगत पत्रावली पर रखें।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
6. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
8. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

of Central Government, however, is awaited and it is expected that needful shall be done within a reasonable time.

The matter is being pursued.

This Court is further informed that some of the districts have shown significant progress in the implementation of CCTNS scheme, whereas, implementation of the scheme in districts Prayagraj, Gorakhpur, Bijnour, Unnao, Sultanpur, Raebareli, Ghaziabad and Gautambudh Nagar is below satisfactory. The Director General of Police has evolved a mechanism to appreciate performance of the staff as well. In the districts viz Moradabad, Mainpuri, Etah, Jhansi and Sant Kabir Nagar the concerned staff has duly been rewarded with the certificates of appreciation. This is a healthy measure in police services which ultimately would bridge the gap between public grievances and police service.

The Court would expect further measures to be suggested by the State which may effectuate the implementation of CCTNS scheme so that impartial investigation of crimes becomes a reality in general public perception.

For further suggestions and awaiting the outcome of communication dated 04.01.2019,list this case on 29.04.2019.

The officer present today shall appear again on the next date of listing.

Let a copy of the order be brought to the notice of Additional Solicitor General of India who may also seek instructions about the outcome of letter dated 04.01.2019.

Order Date :- 25.3.2019
Shahnaz

Head Wise Lat Long Report from 01/02/2019 to 26/03/2019

Sr.No	DISTRICT	302 Reported	Latlong Plotted 302	392 Reported	Latlong Plotted 392	395 Reported	Latlong Plotted 395	457/380 Reported	Latlong Plotted 457/380	279 Reported	Latlong Plotted 279
1	AGRA	18	0	49	2	5	0	163	3	193	1
2	ALIGARH	22	5	22	2	2	0	45	3	141	12
3	AMBEDKAR NAGAR	6	0	8	0	1	0	26	1	58	1
4	AMETHI	6	0	7	1	2	0	31	2	52	1
5	AURAIYA	5	0	4	0	1	0	14	0	55	1
6	AYODHYA	10	0	12	1	1	0	29	3	120	11
7	AZAMGARH	6	0	10	1	1	0	38	3	75	13
8	BADAUN	10	3	1	1	1	1	17	6	89	6
9	BAGHPAT	8	0	11	1	2	0	10	0	40	1
10	BAHRAICH	12	1	9	0	2	1	43	3	70	8
11	BALLIA	4	0	4	0	0	0	14	0	63	3
12	BALRAMPUR	2	0	6	0	0	0	3	0	16	0
13	BANDA	8	0	3	0	3	1	18	1	66	7
14	BARABANKI	12	1	5	0	1	0	29	1	107	2
15	BAREILLY	18	1	26	4	2	1	67	5	202	13
16	BASTI	3	0	1	0	0	0	8	0	48	3
17	BHADOHI	3	0	6	0	0	0	13	2	34	2
18	BIJNOR	11	0	3	0	0	0	23	1	79	2
19	BULANDSHAHAR	19	1	19	4	2	1	42	7	130	11
20	CHANDAULI	4	0	3	0	0	0	23	2	32	7
21	CHITRAKOOT	3	0	3	0	0	0	8	0	42	2
22	DEORIA	11	0	9	0	4	0	26	0	73	0
23	ETAH	5	0	3	1	0	0	15	0	97	4
24	ETAWAH	11	4	4	2	2	1	18	1	95	9
25	FATEHGARH	6	1	3	0	2	0	21	2	65	4
26	FATEHPUR	5	2	7	1	1	0	17	3	114	13
27	FIROZABAD	11	0	10	1	5	2	30	1	113	9
28	GAUTAM BUDH NAGAR	16	0	74	2	5	0	103	3	165	6

Sr.No	DISTRICT	302 Reported	Latlong Plotted 302	392 Reported	Latlong Plotted 392	395 Reported	Latlong Plotted 395	457/380 Reported	Latlong Plotted 457/380	279 Reported	Latlong Plotted 279
29	GHAZIABAD	16	0	134	0	5	0	142	0	145	0
30	GHAZIPUR	6	1	8	0	2	0	34	1	49	7
31	GONDA	6	0	6	0	3	0	19	0	51	3
32	GORAKHPUR	20	0	23	1	2	0	69	2	142	6
33	HAMIRPUR	2	0	3	0	0	0	5	0	41	4
34	HAPUR	9	2	7	1	1	0	19	3	55	9
35	HARDOI	12	0	8	0	8	0	22	0	138	3
36	HATHRAS	9	0	5	0	2	0	15	0	77	1
37	JALAUN	7	0	3	0	0	0	26	1	65	2
38	JAUNPUR	11	1	4	0	3	0	60	2	85	1
39	JHANSI	4	0	7	0	0	0	165	0	99	9
40	JYOTIBAPHULLEYNAGAR	6	0	8	3	0	0	7	0	52	8
41	KANNAUJ	2	0	2	0	1	1	10	2	50	6
42	KANPUR CITY	20	3	29	2	7	0	108	2	259	9
43	KANPUR DEHAT	10	0	5	0	0	0	14	1	119	7
44	KASGANJ	5	2	5	1	3	0	14	1	55	4
45	KAUSHAMBI	10	1	9	1	1	0	12	0	65	3
46	KHERI	13	0	5	0	3	0	15	0	137	0
47	KUSHI NAGAR	4	0	5	1	0	0	31	2	86	9
48	LALITPUR	4	1	4	2	0	0	14	0	33	2
49	LUCKNOW	21	0	79	3	8	0	270	5	292	17
50	MAHOBA	3	0	0	0	0	0	22	1	32	2
51	MAHRAJGANJ	2	0	3	0	0	0	13	0	58	2
52	MAINPURI	13	0	5	0	1	0	9	2	103	5
53	MATHURA	17	0	40	4	3	0	75	4	143	8
54	MAU	3	0	3	0	0	0	19	0	39	4
55	MEERUT	21	0	24	0	2	0	94	2	169	3
56	MIRZAPUR	4	0	9	0	0	0	30	0	66	0
57	MORADABAD	5	1	11	2	0	0	41	10	79	11
58	MUZAFFAR NAGAR	11	0	8	1	1	0	38	4	88	3

Sr.No	DISTRICT	302 Reported	Latlong Plotted 302	392 Reported	Latlong Plotted 392	395 Reported	Latlong Plotted 395	457/380 Reported	Latlong Plotted 457/380	279 Reported	Latlong Plotted 279
59	PILIBHIT	11	0	6	0	0	0	23	0	77	0
60	PRATAPGARH	4	0	9	0	2	0	17	1	68	3
61	PRAYAGRAJ	22	1	68	9	5	0	112	6	250	21
62	RAE BARELI	6	0	5	0	3	0	47	3	125	4
63	RAMPUR	14	2	7	1	1	1	18	3	70	12
64	SAHARANPUR	15	1	15	0	0	0	34	0	65	2
65	SAMBHAL	10	0	7	0	2	0	12	0	54	0
66	SANT KABEER NAGAR	1	0	4	0	0	0	8	2	27	4
67	SHAHJAHANPUR	19	2	13	0	1	0	35	1	125	6
68	SHAMLI	6	0	6	0	0	0	7	0	38	0
69	SHRAVASTI	2	0	0	0	0	0	4	1	13	0
70	SIDDHARTH NAGAR	1	1	0	0	2	0	8	2	23	6
71	SITAPUR	23	0	19	0	5	0	43	1	143	5
72	SONBHADRA	9	0	2	0	0	0	13	0	52	0
73	SULTANPUR	7	0	11	2	4	1	33	4	75	11
74	UNNAO	8	0	12	0	1	0	31	1	138	1
75	VARANASI	6	1	61	0	3	1	97	8	119	16
	Total	**695**	**39**	**1029**	**58**	**130**	**12**	**2848**	**131**	**6768**	**391**

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–98 / 2018 दिनांकःअगस्त 25, 2018

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, समस्त जोन, परिक्षेत्र, जनपद उ0प्र0।

विषयः– **सिटीजन सर्विसेज के लिए उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट एवं प्रस्तावित UPCOP मोबाइल ऐप्प में सिटीजन चार्टर व्यवस्था सन्निहित है जिसके अनुपालन के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दृष्टिगत थाना स्तर पर उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट (uppolice.gov.in) या प्रस्तावित UPCOP मोबाइल ऐप्प पर विभिन्न सेवा–अनुरोधों के निस्तारण के लिये सिटीजन चार्टर व्यवस्था सन्निहित की गयी है। सिटीजन चार्टर व्यवस्था के अनुसार आम नागरिक द्वारा प्रत्येक सर्विसेज के लिए आवेदन करने के उपरान्त निर्धारित समय अवधि में सेवा प्राप्त हो जाना चाहिए जैसा कि समय अवधि के सम्बन्ध में विवरण चार्ट में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0 द्वारा इस हेतु पूर्व में समांक पत्र दिनांक 30.07.2018 द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा चुका है।
संलग्नक–क

2– उपरांकित के सम्बन्ध में आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा यथा सिटीजन चार्टर व्यवस्था का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सर्व सम्बन्धित को निर्देशित किया जाए। उक्त सिटीजन चार्टर व्यवस्था के संबंध में सभी संबंधित को मीटिंग कर विभिन्न स्तर पर सुनिश्चित की गयी जिम्मेदारी एवं समय–सीमा से जागरूक कराया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

25.8.18

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, जी0आर0पी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ

उ0प्र0 पुलिस हेतु सिटीजन चार्टर की समय अवधि एवं जिम्मेदारी

क्र.सं	अनुरोध का प्रकार	नागरिकों को निम्न समयावधि (दिनों) में सेवा अनुरोध प्राप्त करने हेतु समयसीमा (आवदेन करने की तारीख से)	अनुरोध की पूर्ति हेतु निर्धारित समय सीमा			टिप्पणी
			थाना स्तर/ एलआईयू /डीसीआरबी	क्षेत्राधिकारी स्तर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक स्तर	
1	नागरिक शिकायत	7	7	—	—	
2	चरित्र प्रमाणपत्र	15	5	2	7	
3	चरित्र प्रमाणपत्र–ठेकेदारी हेतु	15	5	2	7	अंतिम स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी
4	कर्मचारी सत्यापन	15	5	2	7	
5	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट	5	5	5	5	
6	विरोध/ हड़ताल	3	1	1	1	अंतिम स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी
7	किरायेदार सत्यापन	15	5	2	7	
8	घरेलू सहायता सत्यापन	15	5	2	7	
9	जुलूस अनुरोध	3	1	1	1	अंतिम स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी
10	फिल्म शूटिंग	10	5	2	2	अंतिम स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी
11	कार्यक्रम/प्रदर्शन निवेदन	6	2	2	2	अंतिम स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी

Court No. - 21

Case :- BAIL No. - 8835 of 2018

Applicant :- Ravi

Opposite Party :- State Of U.P.

Counsel for Applicant :- Atul Verma,Akhilendra Pratap Singh

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Attau Rahman Masoodi,J.

Sri Vinod Kumar Shahi Additional Advocate General assisted by Sri S.N.Tilhari, learned A.G.A on the basis of instructions received from Sri Ashutosh Pandey Additional Director General, Technical Services, U.P. Police have brought to the notice of this Court that the implementation of CCTNS scheme is touching new heights every day under the service oriented approach of technical staff and in furtherance thereof, a mobile application termed as *U.P.COP* has been made available for lodging complaints in the matter of cyber crimes and other crimes against unknown culprits. This mobile application i.e. *U.P.COP* as on date has been downloaded by almost more than a lakh of internet users.

It is also informed that the complaints received on this mobile application are responded promptly particularly in the matter of economic offences. The banking institutions also take prompt measures as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India even before the police department steps into action. The aforesaid application is subscription-free. The utility of such an application being for optimum public good, as such, the Home Department, U.P. is expected to make due publicity of such a facility to the public at large.

It is also informed that for the purposes of effective management of the funds and allocation thereof to each district, necessary measures and guidelines are issued under a circular by the Director General of Police on 03.01.2019. This circular deals with the prompt disbursement of requisite fund to the police stations on raising the demand. Necessary equipments are also provided without allowing the functioning of investigation to suffer.

Response to the letter dated 04.01.2019 at the end